संख्या 1194/का–1—2000–13–15–91

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ला,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।

2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2001

विषय :—राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख विभागीय संगत सेवा नियमावलियों में किया जाता है।

2—नियमों में सम्पूर्ण प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी कतिपय मामलों में निर्धारित चयन प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक अनुसरण न किये जाने तथा चयन प्रक्रिया के अनुसरण में त्रुटियां होने की शिकायतें सामने आती हैं। चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो जाने पर जहाँ एक ओर चयन के भिन्न व दोष पूर्ण परिणाम आने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर सम्पूर्ण चयन की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा अर्ध शा० प्र० संख्या–555/का–1–93, दिनांक 15 अप्रैल, 1993 जारी किया गया था। इस अर्ध शा० पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार होने वाले चयनों में कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयाँ आने लगी हैं और इसके कुछ प्राविधान अब अप्रासंगिक भी हो गये हैं। अतः सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित अर्ध शा० पत्र को निरस्त करते हुए विभिन्न स्तर के चयनों को करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं/प्राविधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) **रिक्तियों का अवधारण**–प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि जिसे एक चयन वर्ष कहा जाता है, में घटित रिक्तियों हेतु यथासम्भव एक ही चयन संपन्न किये जाने की नीति है। अतः चयन के लिए एक चयन वर्ष में भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना की जाय, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य आरक्षित वर्गों के लिए उनके निर्धारित कोटे के अनुसार अलग-अलग रिक्तियां भी अवधारित की जाय तथा चयन के समय उससे चयन समिति को अवगत कराया जाये :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट है कि एक से अधिक चयन की आवश्यकता है और पद उपलब्ध है तब अनुपूरक चयन कराये जा सकते हैं। यदि एक वर्ष में एक से अधिक चयन होते हैं तो रिक्ति उत्पन्न के दिन चयनित उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठतम को उक्त रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नत किया जायेगा। इस बात का यथासंभव प्रयत्न होना चाहिए कि एक चयन वर्ष के लिए यथासंभव एक चयन हो।

(2) **सीधी भर्ती के चयन**–यदि सेवा नियमावली के प्रावधानानुसार लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयन अपेक्षित हो, तो यथास्थिति लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या जिनमें प्रत्येक आरक्षित वर्ग की रिक्तियां भी इंगित की जाये, बताते हुए दो वर्ष पूर्व ही अधियाचन भेज दिया जाय, जैसा कि शासनादेश संख्या 13/20–91–टी० सी०-का–1–1991, दिनांक 30 सितम्बर, 1991 में अपेक्षा की गई है।

(3) जहाँ विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन अपेक्षित हो, संगत नियमावली के प्रावधानानुसार चयन समिति का गठन किया जाय व चयन समिति में जहाँ अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के किसी अधिकारी को चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक हो, वहाँ उन्हें समिति में अवश्य शामिल किया जाये।

(4) जहाँ सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित करने या नाम मंगाने की व्यवस्था हो, वहां तद्नुसार ही आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायें या यथास्थिति नाम मंगाये जायें।

(5) **पदोन्नति के माध्यम से आयोजित चयन पात्रता सूची तैयार करना–**"श्रेष्ठता" (मेरिट) के आधार पर आयोजित चयनों के लिए, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासंभव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठतम् पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता-सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था है जिसके अनुरूप की पात्रता-सूची तैयार की जाए :–

1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दो गुना कम से कम–5

5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम–10

(6) पात्रता-सूची की तैयारी हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता-सूची का ही प्रयोग किया जाय। प्रस्तावित, अनन्तिम या विवादित ज्येष्ठता-सूची से पात्रता-सूची तैयार कर चयन किया जाना उचित नहीं है।

(7) "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड" से सम्पन्न होने वाले चयनों में सामान्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र कार्मिकों के लिए उनके कोटे के लिए अवधारित की गई रिक्तियां सापेक्ष नियत गुणांक में अलग-अलग तीन पात्रता-सूचियां बनायी जायें, व "श्रेष्ठता" के आधार पर होने वाले चयनों के लिए एक सम्पूर्ण चयन वर्ष की सभी रिक्तियों के सापेक्ष नियत गुणांक में एकल पात्रता-सूची ही तैयार की जाये।

(8) पात्रता-सूची का आकार सेवा नियमावली में इंगित "संवर्गीय पदों" की रिक्तियों के आधार पर ही निर्धारित किया जाये अर्थात् नियत गुणांक के अनुसार पात्रता-सूची में सम्मिलित होने वाली कार्मिकों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु "रिक्तियों की संख्या" में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर भेजने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की न जोड़ा जाए, क्योंकि प्रश्नगत, नियम संबंधित सेवा संवर्ग के पदों/रिक्तियों के लिए होते हैं, संवर्ग के बाहर के पदों/रिक्तियों के लिए नहीं।

(9) यदि किसी एक दिनांक को एक से अधिक चयन वर्षों के लिए चयन प्रस्तावित हो तो पात्रता-सूची विषयक नियमों के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए अलग-अलग पात्रता-सूचियां बनाई जाएं जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :–

(1) द्वितीय वर्ष के लिए—निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(2) तृतीय वर्ष के लिए—निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी।

(10) पात्रता-सूची में उन कार्मिकों के नाम ही शामिल किए जाएं जो संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें (यथा स्थायीकरण, पोषक पद पर अर्हकारी सेवा आदि) पूरी करते हों। यदि कोई कार्मिक चयन वर्ष में चयन के समय उपरोक्तानुसार पात्रता की शर्तें पूरी करता हो, परन्तु विलम्ब से चयन सम्पन्न होने के कारण चयन के दिनांक को वह सेवानिवृत्त हो गया अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो, तब भी उसका नाम यथा स्थान पात्रता-सूची में रखा जाए, जैसा कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/2–84–का–1, दिनांक 25 जून, 1984 में स्पष्ट किया जा चुका है।

(11) यदि किसी चयन वर्ष में कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने अथवा उपलब्ध पात्र कार्मिकों में से समुचित संख्या में उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण कुछ या सब रिक्तियाँ बिना भरे छोड़नी पड़े तो ऐसी बिना भरे छोड़ी गई रिक्तियां अनुवर्ती चयन वर्ष की रिक्तियों में शामिल होंगी।

(12) यदि किरी कार्मिक को पोषक पद पर किसी भूतलक्षी तिथि से नोशनल पदोन्नति दी गई हो, तो उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि से उसे संबंधित पोषक पद पर कार्यरत परिकल्पित करते हुए उसकी अर्हकारी सेवा की गणना की जाए और यदि उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि के आधार पर उसने अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो तथा वह पात्रता की अन्य शर्तें, यदि कोई हों, भी पूरी करता हो तो इस बात के बावजूद कि उसने वास्तव में निर्धारित अवधि की सेवा पूरी की है, उसे पात्रता-सूची में शामिल किया जाए।

(13) सेवा नियमावली में निर्धारित पात्रता की शर्तों में शिथिलीकरण उसी दशा में सम्भव है जबकि पात्रता विषयक नियम में ही शिथिलीकरण का कोई प्राविधान विद्यमान हो। सेवा नियमावलियों में या अन्यत्र "सेवा-शर्तों" को शिथिल करने के जो सामान्य प्रावधान होते हैं, उनके तहत भर्ती की शर्तों, जिनमें पात्रता की शर्तें भी शामिल हैं, को शिथिल नहीं किया जा सकता है। अतः पात्रता के नियमों में भी जहाँ जिस सीमा तक शिथिलीकरण का प्रावधान हो, उससे अधिक/भिन्न शिथिलीकरण किसी भी दशा में न किया जाए।

(14) यदि किसी चयन वर्ष की रिक्ति में संस्तुत किये गये कार्मिक को सेवानिवृत्त उसी चयन वर्ष के भीतर देय हो, तो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि एक चयन वर्ष में होने वाली समस्त रिक्तियों के भीतर यथासंभव एक बार/एक चयन आवश्यक है, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उस रिक्ति में नियुक्त किये जाने हेतु एक अन्य कार्मिक की संस्तुति उसी चयन में की जाए। उक्त एक अतिरिक्त कार्मिक की संस्तुति के क्रियान्वयन के पश्चात् भी चूँकि वर्ष भर के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिनके नियम गुणांक में पात्रता-सूची तैयार की गई है, में कोई वृद्धि नहीं होगी, अतः सामान्यतः उसे अतिरिक्त रिक्ति मानकर पात्रता-सूची को विस्तार नहीं दिया जायेगा।

(15) यद्यपि चयन समिति की बैठक आहूत करने के पूर्व ही रिक्तियों का अवधारण अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए तथा यदि चयन के पश्चात् यह ज्ञात हो कि सम्पन्न चयन से संबंधित चयन वर्ष की बताई गई रिक्तियों से अधिक रिक्तियां वास्तव में उपलब्ध थी, जिनके लिए चयन किया जाना आवश्यक है अथवा नियुक्ति अधिकारी के इस बात पर समाधान होने पर कि अनुवर्ती चयन अपेक्षित है, तो ऐसी अधिक/अतिरिक्त रिक्तियों के लिए नियम गुणांक में नये सिरे से पात्रता-सूची बनाकर नया चयन नहीं किया जायेगा वरन संबंधित चयन वर्ष के लिए सम्पन्न चयन के क्रम में ही आवश्यकतानुसार पात्रता-सूची में अतिरिक्त नाम जोड़कर इस प्रकार चयन सम्पन्न किया जाए जैसा कि पूर्व आयोजित चयन के समय ही रिक्तियों की सही संख्या ज्ञात होने पर होता है।

(16) **निर्धारित प्रपत्रों पर सूचनाएं चयन समिति को उपलब्ध करना**–यह प्रशासकीय विभाग का दायित्व है कि वह निर्धारित प्रपत्रों पर सही सूचनायें चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः सम्पूर्ण चरित्र पंजियां अनुशासनिक कार्यवाही की सम्पूर्ण तथा वास्तविक स्थिति व अनुशासनिक कार्यवाहियों तथा वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टियों के विषय में अपील/प्रत्यावेदनों के प्रस्तुत किये जाने व उनके निस्तारण की सम्पूर्ण सूचनायें चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। यदि इस विषय में किसी माननीय न्यायालय या अधिकरण के आदेशों अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से चयन में कोई बाधा प्रतीत होती हो तो चयन समिति की बैठक बुलाने के पूर्व ही यथास्थिति माननीय न्यायालय/अधिकरण के पुनरादेश अथवा न्याय/कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर ऐसी बाधाओं का निराकरण कर लिया जाय।

(17) अपूर्ण चरित्र प्रविष्टियों अथवा सेवाभिलेखों के आधार पर चयन के प्रस्ताव नहीं किये जाने चाहिए। अतः चयन समिति की बैठक आहूत करने के पूर्व ही चरित्र प्रविष्टियां/सेवाभिलेख आदि पूर्ण करा लिये जायें।

(18) चयन समिति की बैठक नियमानुसार पात्रता-सूची में सम्मिलित कार्मिकों की उपयुक्तता आंकने के लिए बुलाई जाती है न कि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता, अनुशासनिक कार्यवाही, पात्रता निर्धारण, न्यायिक निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति आदि के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होने वाली कार्मिक समस्या को सुलझाने के लिए। अतः सभी विद्यमान समस्याओं के निराकरण के पश्चात् चयन की परिस्थितियां परिपक्व होने पर चयन समिति की बैठक बुलाई जाए।

(19) **चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन व क्रियान्वयन**–चयन समिति का गठन उसी रूप में किया जाए, जिस रूप में संगत नियमों में प्राविधानित है। चयन समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सेवा नियमों में उल्लिखित प्राधिकारियों/अधिकारियों से भिन्न किसी अन्य उच्च या समकक्ष पदधारक को शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः यदि चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य से संबंधित पद रिक्त चल रहा हो तो यह आवश्यक होगा कि संबंधित पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किसी अन्य अधिकारी के विषय में सक्षम स्तर से आदेश पारित कर दिये जायें। सभी ऐसे अधिकारी, जिनके विषय में उक्त प्रकार के आदेश हुए हैं, चयन समिति में भाग ले सकते हैं।

(20) चयन समिति की बैठक उसी दशा में आहूत की जानी चाहिए जब चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से सम्बद्ध पदों पर संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी सेवारत/कार्यरत हो तथा चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही उसी दशा में सम्पन्न की जानी चाहिए, जब अध्यक्ष सहित सभी सदस्य बैठक में शामिल हों अथवा उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए समय से आमंत्रित किया गया हो।

(21) यदि आमंत्रित किये जाने के बाद किसी आकस्मिक परिस्थिति या घटना आदि के कारण कोई सदस्य (अध्यक्ष नहीं) बैठक में भाग न ले सके तब चयन की कार्यवाही उसी दशा में की जाए जब निर्धारित सदस्यों में से कम से कम आधे से अधिक सदस्य बैठक में भाग लें।

(22) चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन सक्षम स्तर से होना आवश्यक है। अतः सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त ही उनका क्रियान्वयन किया जाय।

(23) चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी यदि यह पाते हैं कि चयन समिति के समक्ष सम्पूर्ण अभिलेख/तथ्य नहीं रखे गये थे, तो वे ऐसे समस्त संगत अभिलेखों के प्रकाश में चयन समिति को पुनर्विचार के निर्देश दे सकते हैं।

(24) यदि निर्धारित चयन समिति विषयक नियमों के अधीन रहते हुए चयन समिति में किसी ऐसे अधिकारी के स्थान पर जो पूर्व चयन में शामिल हुआ था, कोई अन्य अधिकारी शामिल किया जा सकता है तो पुनर्विचार के लिए आयोजित चयन समिति में ऐसे नये अधिकारी को नामित कर सकने का प्रावधान है, वहां पूर्व चयन में नामित अधिकारी से भिन्न किसी अन्य अधिकारी को नामित कर चयन समिति की बैठक (पुनर्विचार हेतु) आहूत की जा सकती है।

3—अनुरोध है कि कृपया चयन के अवसरों पर, उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं/प्रावधानों का भली-भांति ध्यान रखा जाए ताकि चयन में संभावित त्रुटियों से बचा जा सके।

4—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमों व नीतियों की जो स्थिति ऊपर इंगित की गई है उसका उद्देश्य चयनों/भर्ती पर लगाई गई किसी विद्यमान रोक को हटाना नहीं है, वरन् उद्देश्य मात्र यह है कि जब भी चयन का अवसर उत्पन्न हो, उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाए ताकि संभावित त्रुटियों से बचा जा सके।

भवदीय,

प्रदीप शुक्ला,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 5 सा नियुक्ति—22-8-2001—(777)—2000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।